

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक-87/15 (डकैती)

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 29.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

1. मंगू उर्फ मंगलप्रसाद पुत्र राजाराम राय,
उम्र 51 साल,
2. मेहताब पुत्र लज्जाराम राय, उम्र 41 साल
3. भोलू उर्फ मुकेश राय, पुत्र मंगू उर्फ मंगलप्रसाद
उम्र-23 साल, निवासीगण-राय मोहल्ला, सरकारी
स्कूल के पास, वार्ड नंबर-6 मालनपुर जिला भिण्ड

..... अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 05/08/2017 को घोषित)

1. अभियुक्तगण उर्फ मंगलप्रसाद राय, मेहताब राय एवं भोलू उर्फ मुकेश राय के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-307, 394, 353, 332 सहपठित 34 एवं धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.01.12 को रात्रि 03:30 बजे या उसके लगभग समता नगर के पास राय मोहल्ला सरकारी स्कूल के पास अभियुक्त मंगू राय के मकान में मालनपुर में डकैती प्रभावित क्षेत्र में एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उमेश पर इस आशय से अथवा इस ज्ञान से और इन परिस्थितियों में कुल्हाड़ी से वार किया कि यदि उमेश की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त भोलू हत्या का दोषी होता, आरक्षक मनीष सिंह भदौरिया को स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए उसका मोबाइल लूटा, राकेश का पर्स 150/-रुपए एवं आई. कार्ड लूट लिया जब आरक्षक मनीष और सैनिक उमेश लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब उन पर हमला किया और अपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति

कारित की।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया है कि इनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।
3. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि फरियादी आरक्षक मनीष सिंह भदौरिया, आरक्षक राकेश कुमार, सैनिक उमेश शर्मा एवं सैनिक ग्यासीराम दिनांक 03.01.12 एवं 04.01.2012 को थाना मालनपुर में पदस्थ थे।
4. अभियोजन के अनुसार दिनांक 03.01.12 एवं दिनांक 04.01.12 की रात्रि में फरियादी आरक्षक मनीष सिंह भदौरिया एवं सैनिक ग्यासीराम की हनुमान चौराहे पर तथा आरक्षक राकेश कुमार एवं सैनिक उमेश शर्मा की समता नगर में गस्त पर ड्यूटी लगी थी। अभियोजन के अनुसार प्र०पी०-19 एवं 20 के कार्य प्रमाणपत्र के अनुसार उक्त चारों की ड्यूटी लगाई गई थी और उन्हें उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया था। आरक्षक राकेश कुमार तथा सैनिक उमेश शर्मा समता नगर में गस्त करते हुए राय मोहल्ला में मंगूराम के घर के पास आए तो उसके घर में से औरत के चिल्लाने की बचाओ-बचाओ की आवाज आई, तब राकेश ने अपने मोबाइल से आरक्षक मनीष को मोबाइल पर फोन लगाकर बताया कि मंगू राय के घर में से औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है, तुम भी आ जाओ। तब आरक्षक मनीष व सैनिक ग्यासीराम वहां पर आ गए। वे चारों लोग मंगू राय के घर के खुले दरवाजे से घर के अन्दर छत पर बने कमरे की तरफ गए तो मंगू राय अपनी औरत की डण्डे से मारपीट कर रहा था तथा मंगू का लड़का भोलूराम व मेहताब वहां खड़े थे, जो कह रहे थे कि और मारो। तब मंगू की लड़की राखी ने अपनी मां का बचाव किया तो बीच बचाव करने में डण्डा रखी को भी लग गया। तब इन चारों ने बीच बचाव की कोशिश की तो भोलू ने कुल्हाड़ी उठाकर जान से मारने की नियत से उमेश शर्मा के सिर में मारी जो उमेश ने अपनी बंदूक पर वार ले लिया, फिर भोलू ने कुल्हाड़ी से दूसरा वार किया जो उमेश ने फिर अपनी बंदूक पर ले लिया। फिर भोलू ने तीसरी कुल्हाड़ी उमेश शर्मा के सिर में मारी जो सिर में बाईं तरफ लगी, चोट होकर खून निकलने लगा। राकेश, मनीष कुमार व ग्यासीराम ने बचाने की कोशिश की तो मंगूराम ने राकेश को धक्का देकर गिरा दिया तथा राकेश का काला पर्स जिसमें 150/-रुपए नकद व आई कार्ड रखे थे, छीन लिया। मनीष व उमेश की मंगू ने डण्डे से मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। मेहताब ने मनीष के मुंह पर मुक्का मारा और उसका नोकिया कंपनी का 6600 नंबर का मोबाइल छिना लिया। कुल्हाड़ी के वार से रायफल की लकड़ी टूट गई, जिससे रायफल में नुकसान हो गया। उक्त रायफल बट नंबर 12 थी।

अभियुक्तगण ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। मनीष ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में प्र०पी०-15 के रूप में दर्ज कराई, जिस पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1/2012 अंतर्गत धारा-307, 394, 353, 333, 427, भा०दं०सं० तथा 11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण मनीष कुमार, सैनिक उमेश शर्मा का मेडीकल परीक्षण कराया गया, जिनकी रिपोर्ट प्र०पी०-05 एवं 07 है।

5. दौराने अनुसंधान दिनांक 04.01.12 को आरक्षक मनीष सिंह का प्र०डी०-01 का, सैनिक उमेश शर्मा का प्र०डी०-02 का आरक्षक राकेश, सैनिक ग्यासीराम, साक्षी राजवीर उर्फ टोला एवं केशव गुर्जर के कथन लिए गए। उसी दिनांक को सैनिक उमेश शर्मा से एक फटीहुई सेण्डो बनियान खून आलूदा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-18 बनाया गया। उमेश के द्वारा थाना मालनपुर पर टूटी हुई रायफल जमा की गई, जिसे उसी दिनांक 04.01.12 को प्र०पी०-17 के जप्ती पंचनामा के अनुसार जप्त किया गया। उसी दिनांक 04.01.12 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र०पी०-16 बनाया गया। दिनांक 22.03.13 को अभियुक्त मेहताब एवं भोलू उर्फ मुकेश को प्र०पी०-09 एवं 10 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। मेहताब का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम प्र०पी०-12 एवं भोलू उर्फ मुकेश का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम प्र०पी०-11 लिया गया। अभियुक्त मेहताब के द्वारा नोकिया कंपनी का मोबाइल अपने कमरे में रखे हुए होने की जानकारी दी गई तथा भोलू उर्फ मुकेश के द्वारा कुल्हाड़ी अपने कमरे में छिपा कर रखने की जानकारी दी गई। जिसके आधार पर उसी दिनांक को अभियुक्त मेहताब राय के घर से उसके आधिपत्य से एक नोकिया कंपनी का मोबाइल तथा भोलू उर्फ मुकेश से उसके घर से उसके आधिपत्य से एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त की गई और जप्ती पंचनामा प्र०पी०-13 एवं 14 बनाया गया। दिनांक 05.04.13 को अभियुक्त मंगू उर्फ मंगलप्रसाद राय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-01 बनाया गया। उसका धारा -27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्र०पी०-02 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसमें उसने डण्डा एवं आरक्षक राकेश के पर्स को अपने घर के कमरे में रखने की जानकारी दी, जिसके आधार पर उसके घर के कमरे से उक्त डण्डा, पर्स, 150/-रुपए एवं आई कार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-03 बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि पुलिस वालों ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी व बच्ची की मारपीट की थी। उक्त मारपीट के संबंध में परिवाद पेश किया था जो दर्ज हो गया है। घटना के पहले अभियुक्त मंगू ने थाना मालनपुर के पुलिस वालों के विरुद्ध परिवाद पेश किया था, जिसकी रंजिश से उन्हें झूठा

फंसाया गया है। वे निर्दोष है। बचाव में छः साक्षियों की साक्ष्य कराई गई है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 04.01.12 को रात्रि 03:30 बजे समता नगर के पास राय मोहल्ला सरकारी स्कूल के पास मालनपुर में डकैती प्रभावित क्षेत्र में अभियुक्त मंगू के घर में अभियुक्तगण मंगू, मेहताब, एवं भोलू उर्फ मुकेश ने सैनिक उमेश की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय से अथवा इस ज्ञान से अथवा इन परिस्थितियों में भोलू उर्फ मुकेश ने उमेश पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और उसे उपहति पहुंचाई कि उमेश की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त भोलू हत्या का दोषी होता ?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मनीष सिंह भदौरिया को स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए मेहताब ने उसका मोबाइल लूट लिया तथा मंगू ने आरक्षक राकेश का पर्स, 150/-रूपए और आई.सी लूट लिया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने उसी दिनांक समय व स्थान पर जबकि मनीष और सैनिक उमेश लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब उन पर हमला किया और आपराधिक बल प्रयोग किया तथा उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
4. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

8. इस मामले में उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि साक्ष्य भी संकिलित रूप से आई है और अलग अलग निराकरण करने में तथ्यों की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
9. राकेश अ०सा०-13 का कहना है कि दिनांक 04.01.12 को वह थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह तथा सैनिक उमेश शर्मा समता नगर में रात्रिकालीन गस्त की ड्यूटी पर तैनात था और हनुमान चौक पर आरक्षक मनीष भदौरिया व सैनिक ग्यासीराम तैनात थे। वे लोग समता नगर गस्त के दौरान करीब 03:15 बजे गस्त करते हुए अभियुक्त मंगू के घर के सामने से निकले थे तभी मंगू के घर में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उसने फोन से आरक्षक मनीष भदौरिया को बताया, तब थोड़ी देर में मनीष भदौरिया व सैनिक ग्यासीराम वहीं आ गए तभी उन्होंने खुले हुए दरवाजे से ऊपर जाकर देखा तो मंगू अपनी पत्नी को डण्डे से पीट रहा था तथा अभियुक्त मेहताब एवं भोलू वहीं खड़े थे, जो कह रहे थे कि मारे और मारो। मंगू की लड़की राखी ने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया, जिसमें मंगू के डण्डे से लड़की राखी को लग गई।

10. राकेश अ०सा०-13 ने आगे यह भी बताया है कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो भोलू ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर हमला किया जो सैनिक उमेश ने अपनी बंदूक के बट पर पहला वार ले लिया, तभी दूसरा वार भोलू का सैनिक उमेश ने बंदूक की स्लाइड पर ले लिया, जिससे बंदूक 3 नॉट 3 की लकड़ी टूट गई। तीसरा वार उमेश के सिर में कान के पास लगा, जिससे उसे खून निकल आया। मेहताब ने एक मुक्का आरक्षक मनीष के मुंह में मारा जिससे उसे खून निकलने लगा और उसका मोबाइल नोकिया 6600 छीन लिया। मंगू ने डण्डे से मनीष भदौरिया की पिटाई की, जिससे उसके पैर व जांघ में चोटें आई थीं। आरोपी मेहताब ने उन लोगों को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे इस साक्षी का पर्स गिर गया। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली और उन्हें अभियुक्तगण को पकड़ने नहीं दिया।

11. उमेश शर्मा अ०सा०-06 ने भी उपरोक्त प्रकार से उनकी ड्यूटी लगाना और अभियुक्त मंगू के घर से बचाओ-बचाओ चिल्लाने की किसी महिला की आवाज आना और उसे सुनकर राकेश के साथ वही रुकना बताया है। राकेश ने मनीष को फोन लगाकर अपने पास बुलाया तो मनीष व सैनिक ग्यासीराम भी आ गए, मंगू राय के खुले दरवाजे से निकलकर व लोग मकान में ऊपर पहुंचे कि अभियुक्त मंगू अपनी पत्नी की डण्डे से मारपीट कर रहा था और अभियुक्त भोलू और मेहताब खड़े थे और मंगू से कह रहे थे कि और मारो तभी मंगू की लड़की राखी उसे बचाने आई तो बीच-बचाव में मंगू के डण्डे से राखी को भी चोटें आईं। तब इन चारों ने मंगू की पत्नी को अभियुक्तगण से बचाने की कोशिश की।

12. उमेश शर्मा अ०सा०-06 ने यह भी बताया है कि भोलू ने उसे जान से मारने की नियत से उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी, जिसका वार उसने अपनी बंदूक पर ले लिया, दूसरा प्रहार भोलू ने उसके सिर को निशाना बनाते हुए जान मारने के लिए किया, जिससे बंदूक क्षतिग्रस्त होकर उसका काठ जमीन पर गिर पड़ा था। इसके बाद भोलू ने तीसरा प्रहार किया जो उसके सिर में बाईं तरफ लगा, जिससे खून निकल आया अभियुक्तगण मंगू और मेहताब ने उसकी व मनीष की मारपीट की थी, जिससे उसके व मनीष के सिर में चोटें आई थीं। मारपीट में सबसे छोटी उंगली में चोट आई, जिससे खून निकल आया।

13. उमेश शर्मा अ०सा०-06 ने यह भी बताया है कि आरक्षक मनीष का काले रंग का पर्स और उसमें रखे हुए 150/-रुपए छुड़ा लिए थे, अभियुक्त मेहताब सिंह ने आरक्षक मनीष सिंह का मोबाइल फोन जो नोकिया कंपनी का था वह भी छीन लिया था। वे लोग अभियुक्तगण से जानक बचाकर भागते हुए थाने आए और थाने पर आरक्षक मनीष ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। फिर टी.आई. साहब के द्वारा उसे और आरक्षक मनीष को इलाज के लिए गोहद अस्पताल भेजा था। जहां

उनका इलाज हुआ था। उसने यह भी बताया है कि टी.आई. साहब ने उसके सामने घटना के समय जो शासकीय बंदूक बट नंबर 12 थी, उसे थाने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-17 बनाया था। उससे एक बनियान खूल से सनी हुई थाने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-18 बनाया था।

14. मनीष सिंह अ०सा०705 ने भी उपरोक्त प्रकार से घटना होना बताया है और यह बताया है कि जब वे लोग उमेश को बचाने के लिए बढ़े तो मेहताब ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसका मोबाइल नोकिया कंपनी का छुड़ा लिया। इतने में मंगू उर्फ मंगल प्रसाद ने डण्डे से उसकी मारपीट की, जिससे उसके बाएं पैर में चोट आई। फिर आरक्षक राकेश की मंगू उर्फ मंगल प्रसाद ने मारपीट की व धक्का देकर गिरा दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में आकर की जो प्र०पी०-15 है। यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उमेश को जान से मारने की नियत से हमला किया था तथा अभियुक्तगण ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।

15. इसी प्रकार ग्यासीराम अ०सा०-08 ने उपरोक्त प्रकार से ड्यूटी लगना तथा राकेश के द्वारा मनीष को फोन करके बुलाना और उपरोक्त प्रकार से अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना बताया है। उसने यह भी बताया है कि मंगू की लड़की राखी ने अपनी मम्मी का बचाव किया तो मंगू का एक डण्डा राखी को भी लगा। अभियुक्त मंगू ने राकेश को धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और मंगू ने राकेश का काले रंग का पर्स और आई कार्ड छीन लिया। अभियुक्त मंगू ने मनीष व राकेश की डण्डे से मारपीट की तथा मेहताब सिंह ने मनीष के मुंह में मुक्का दिया और उसका नोकिया कंपनी का मोबाइल छीन लिया। उमेश शर्मा की बंदूक की लकड़ी टूट गई थी। घटना की रिपोर्ट मनीष ने थाना मालनपुर में की थी। पुलिस मालनपुर द्वारा मनीष व उमेश शर्मा को मेडीकल के लिए भेजा था।

16. अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर अ०सा०-01 ने अभियुक्त मंगू के घर से पिटने चिल्लाने की आवाज आना अपना उठना बताया है। मौके पर पुलिस वालों का आना और उनके साथ अभियुक्तगण के घर की तरफ जाना बताया है। उसने यह भी बताया है कि मंगू अपनी पत्नी सुनीता देवी की मारपीट कर रहा था उसके साथ मेहताब व भोलू भी थे। उसने चाची सुनीता देवी की मारपीट करने से रोका एवं चाची सुनीता देवी की लड़की राखी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो राखी को भी अभियुक्त मंगू ने डण्डे मारे, तब पुलिस वालों ने आकर बचाया तो अभियुक्त भोलू ने आरक्षक उमेश शर्मा के कुल्हाड़ी मारी, जो उमेश के बाईं तरफ सिर में लगी। अभियुक्त मंगू ने पुलिस वालों की डण्डे से मारपीट की। अभियुक्त मेहताब सिंह ने आरक्षक मनीष को मुक्का मारा और उसका नोकिया कंपनी का मोबाइल छुड़ा लिया, उक्त मारपीट में पुलिस वालों का पर्स व परिचयपत्र गिर गया था। मौके पर गांव वाले आ गए थे, तब अभियुक्तगण भाग गए थे।

17. केशवसिंह अ०सा०-02 ने साक्ष्य देने की दिनांक 10.08.15 से साढ़े तीन साल पहल सुबह लगभग 03:30-04:00 बजे के समय अपनी भैंसों को चराने के लिए जाना बताया है। रास्ते में अभियुक्त मंगू के द्वार पर पहुंचने पर यह देखना बताया है कि पुलिस वाले चिल्ला रहे थे और उसने पूछा कि क्या बात है, तो पुलिस वालों ने बताया कि अभियुक्तगण ने उन्हें लाठियों व डण्डों से मारा है। दो सिपाही एक भदौरिया और दूसरा पण्डित था। वे दोनों खून से लथपथ थे। उनके साथ दो पुलिस वाले और थे। उस समय पुलिस वालों के कपड़े फटे हुए थे। पुलिस वालों ने बताया था कि अभियुक्तगण ने उनका मोबाइल फोन व पर्स भी छीन लिए हैं। यद्यपि इस साक्षी को पुलिस कथन के संबंध में पक्ष विरोधी घोषित किया है। परंतु अभियोजन की ओर से पूछने पर उसने यह स्वीकार किया है कि मंगू अपनी पत्नी की मारपीट कर रहा था इसलिए वे लोग मंगू की पत्नी को बचाने के लिए मंगू के घर गए थे। पुलिस के उमेश शर्मा ने उसे बताया था कि भोलू ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी थी।

18. आत्माराम शर्मा अ०सा०-10 ने दिनांक 04.01.12 को आरक्षक मनीष भदौरिया द्वारा रिपोर्ट करने पर प्र०पी०-15 की रिपोर्ट लिखना और आरक्षक मनीष कुमार व सैनिक उमेश शर्मा को मेडीकल परीक्षण हेतु सी.एच.सी. गोहद रवाना करना बताया है। यह भी बताया है कि ६ टनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर दिनांक 04.01.12 को ही प्र०पी०-16 का नक्शामौका बनाया था। सी.एच.एम. गजेन्द्र सिंह के द्वारा पेश करने पर एक रायफल मार्क 3 सर्विस नंबर 19060 बट नंबर 12, जिसकी लकड़ी टूटी हुई थी, को जप्त किया था। जिसका जप्तीपंचनामा प्र०पी०-17 है। सैनिक उमेश शर्मा से एक फटी हुई सेण्डो बनियान जिसमें खून लगा था, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-18 बनाया है। आरक्षकों व सैनिकों के रवानगी वापिसी रोजनामचा सन्हा शामिल डायरी करना तथा उनकी डी.सी. शामिल डायरी करना एवं तीनों अभियुक्तगण के आपराधिक रिकॉर्ड शामिल डायरी करना बताया है। साक्षी सैनिक ग्यासीराम, चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर सिंह उर्फ टोला फरियादी मनीष सिंह आहत साक्षी उमेश शर्मा, आरक्षक नं०-02 राकेश कुमार, साक्षी केशव गुर्जर के कथन लेना बताया है।

19. गजेन्द्र अ०सा०-15 ने थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा के द्वारा रायफल मार्क 3 बट नंबर 12, जिसकी लकड़ी टूटी हुई थी को उससे जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-17 बनाया जाना बताया है। उसने यह भी बताया है कि उसके सामने टी.आई. साहब ने एक फटी हुई सेण्डो बनियान जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-18 बनाया था। उसके द्वारा आहत मनोज कुमार और सैनिक उमेश शर्मा को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। इसी प्रकार दिलीप अ०सा०-14 ने उक्त रायफल उसके सामने जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-17 बनाया जाना और बनियान जप्त करना बताया है।

20. गजेन्द्र अ०सा०-15 ने यह भी बताया है कि दिनांक 03.01.12 की रात्रि को रात्रिकालीन गश्त के लिए फोर्स को रवाना किया था। जिसका उल्लेख उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 104 पर किया गया है। जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र०पी०-21 है, उक्त मूल रोजनामचा सान्हा वह अपने साथ लाया है, जिसके अनुसार प्र०पी०-21 सत्य व सही है। उसने यह भी बताया है कि रोजनामचा सान्हा 108 कस्बा गस्त वापसी से संबंधित है, जो उसके द्वारा ही लिखा गया है। जिसका असल रोजनामचा सान्हा वह साथ लेकर आया था, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्र०डी०-03 है, जो प्रकरण में संलग्न है। जिसे आरक्षक श्याम प्रताप सिंह द्वारा सत्यापित किया गया है। दिलीप अ०सा०-14 ने प्र०पी०-21 के रोजनामचा सान्हा रवानगी को सत्यापित किया है।

21. कोकसिंह अ०सा०-09 ने दिनांक 03 व 04.01.12 के दरम्यानी रात्रि में आरक्षक मनीष सिंह भदौरिया एवं सैनिक ग्यासीराम को गश्त के दौरान ड्यूटी करते हुए हनुमान चौराहे पर चेक करना और उसके प्रपत्र प्र०पी०-19 होना बताया है तथा उसी रात्रि को आरक्षक राकेश कुमार और सैनिक उमेश शर्मा को समता नगर मालनपुर में गस्ती ड्यूटी करते हुए चेक करना तथा उससे संबंधित प्रपत्र प्र०पी०-20 होना बताया है।

22. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-3 ने दिनांक 04.01.0.12 को सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मनीष एवं आहत उमेश शर्मा का मेडीकल परीक्षण करना बताया है। उन्होंने मनीष का मेडीकल करने पर निम्न प्रकार से चोटें आना पाया है:-

चोट नंबर-1 बांये घुटने पर 3 X 2 से.मी का नीलगू निशान था।

चोट नंबर-2 बांयी जांघ पर 3 X 1.5 से.मी का नीलगू निशान था, उक्त चोट के एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

चोट नंबर-3 बांयी जांघ पर ऊपरी भाग में 3 X 1.5 से.मी का नीलगू निशान था।

चोट नंबर-4 बांये हाथ की अनामिका अंगुली में 1 X 0.8 से.मी का छिला घाव था।

23. डॉ० आलोक शर्मा ने चोट नंबर-1 को छोड़कर शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़ी मौहथरी वस्तु से आना संभवित होकर छः घंटे के भीतर आना बताया है। चोट नंबर-1 का एक्सरे करने पर कोई अस्थिभंग न होना पाया गया है। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र०पी०-05 है।

24. डॉ० आलोक शर्मा ने उमेश शर्मा को निम्नलिखित चोटों का आना बताया है:-

चोट नंबर-1 सिर में बांयी तरफ 6 X 0.3 X 0.2 से.मी का कटा घाव था, उक्त चोट के एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

चोट नंबर-2 बांये हाथ की छोटी अंगुली में 0.5 X 0.3 से.मी का छिलन का घाव था।

चोट नंबर-3 दांये हाथ की अनामिका अंगुली में 0.3 X 0.2 से.मी का छिलन का घाव था।

25. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-03 ने चोट क्रमांक 01 अर्थात सिर के बाईं ओर के फटे हुए घाव को धारदार वस्तु से तथा शेष चोटों का कड़ी व मौहथरी वस्तु से आना संभावित होकर छः घंटे के भीतर होना बताया है, उनकी रिपोर्ट प्र०पी०-07 है।

26. मदन दुबे अ०सा०-04 ने प्रकरण की विवेचना करना बताया है। दिनांक 22.03.15 को अभियुक्त मेहताब एवं भोलू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 बनाया जाना बताया है। भोलू का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कथन प्र०पी०-11 लेना और उसके अनुसार कुल्हाड़ी भोलू के द्वारा अपने कमरे में छिपाकर रखना बताया है। जिसके आधार पर भोलू के घर से एक कुल्हाड़ी लोहे की जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-14 बनाया जाना बताया है।

27. मदन दुबे अ०सा०-04 ने अभियुक्त मेहताब का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-12 लेना बताया है और नोकिया कंपनी का मोबाइल अपने कमरे में रखा होना और बरामद करए जाने की जानकारी देना बताया है। जिसके आधार पर मेहताब के घर से नोकिया कंपनी का मोबाइल उसके द्वारा निकालकर पेश करने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-13 बनाया जाना बताया है। इसी प्रकार दिनांक 05.04.13 को होटल मानसरोवर के सामने अभियुक्त मंगू उर्फ मंगलप्रसाद के मिलने पर उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-01 बनाया जाना बताया है। मंगू का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र०पी०-02 लेना बताया है। जिसमें मंगू के द्वारा राकेश का काला पर्स एवं एक डण्डा अपने कमरे में छिपाकर रखना और बरामद कराया जाना बताया है। जिसके आधार पर मंगू के द्वारा अपने घर से एक डण्डा, एक काले रंग का पर्स जिसके 150/-रुपए व आई. कार्ड रखा था, पेश करने पर उसे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-03 बनाया जाना बताया है।

28. रणवीर सिंह अ०सा०-11 ने उपरोक्त मेहताब एवं भोलू के संबंध में कार्यवाही होना तथा प्र०पी०-09 एवं 10 के गिरफ्तारी पंचनामा, प्र०पी०-11 एवं प्र०पी०-12 के मेमोरेण्डम एवं प्र०पी०-13 एवं 14 के अनुसार जप्ती होना बताया है। इसी प्रकार फरीद खां अ०सा०-12 ने अभियुक्त मंगू उर्फ मंगल प्रसाद के संबंध में गिरफ्तारी मेमो एवं उससे पर्स 150/-रुपए व आई. कार्ड तथा डण्डा जप्त होने के तथ्य बताए हैं तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-01 मेमो प्र०पी०-02 विवेचना अधिकारी मदन कुमार दुबे द्वारा बनाया जाना बताया है।

29. वहीं इसके विपरीत बचाव पक्ष के द्वारा बचाव का यह आधार लिया गया है। कि दिनांक 09.07.10 को थाना मालनपुर के टी.आई. आत्माराम शर्मा ने मंगू की मारपीट की थी और सोने की अंगूठी, नोकिया मोबाइल सिम सहित एवं रुद्राक्ष की माला एवं 8,000/-रुपए उससे छीन लिए थे तथा मां बहिन की अश्लील गालियां दीं थीं तथा उसे बंद कर दिया था। तीन दिन थाने पर बंद रखा और बिना मेडीकल कराए जेल भेज दिया। डेढ़ महीने बाद जेल से छूटने पर सामान मांगने पर टी.आई. साहब ने सामान नहीं दिया और झूठी रिपोर्ट लिखवा कर केस लगवा दिया, जिसकी शिकायत आई.जी., डी.आई.जी., एस.पी. एवं मानवाधिकार आयोग में की थी और विशेष न्यायालय डकैती भिण्ड में परिवाद पेश किया था, जिससे थाना मालनपुर के पुलिस कर्मचारी और अधिकारी रंजिश रखने लगे थे और इस्तगासा वापस लेने की धमकी देने लगे। इस्तगासा वापस लेने से मना करने पर दिनांक 04.01.12 को रात्रि लगभग 2-3 बजे चार पुलिस वाले उसके घर में दीवार के सहारे घुस आए और दूसरी मंजिल पर चढ़ आए, उनकी नियत ठीक नहीं थी। उन्होंने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने उसको पकड़कर उसी पत्नी की मारपीट की और बच्ची राखी को भी पकड़ लिया और उसकी भी बंदूक के बट से मारपीट की और छेड़खानी की। जिससे पत्नी और पुत्री को अनगिनत चोटें आईं। बच्ची बाहर आकर चिल्लाने लगी तो सिपाही बंदूक कमरे में छोड़कर कूद गया और दूसरा भी भागने लगा। तब मंगू ने कमरे से निकल कर सिपाही मनीष को पकड़ लिया और तीनों लोग भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी सरपंच महेन्द्र के माध्यम से उक्त बंदूक टी.आई. आत्माराम शर्मा को दी। उक्त घटना से बचने के लिए मनीष भदौरिया, उमेश शर्मा, राकेश व ग्यासीराम ने टी. आई. आत्माराम शर्मा से मिलकर अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।

30. बचाव पक्ष की ओर से मंगू उर्फ मंगलप्रसाद ब0सा0-01, सुनीता शर्मा ब0सा0-02, महेन्द्र जाटव ब0सा0-03, मेहताब ब0सा0-04 एवं राखी शर्मा ब0सा0-05 तथा महेन्द्र शर्मा ब0सा0-06 की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिसमें उन्होंने उपरोक्त आधार को बताते हुए उपरोक्त तथ्य बताए हैं। सुनीता शर्मा ब0सा0-02 एवं कुमारी राखी ब0सा0-05 इस घटनाक्रम की प्रमुख साक्षी हैं, जो वास्तविक पीड़ित हैं, जिनके संबंध में पुलिस मौन रही है। जिनकी चोटों के संबंध में भी पुलिस मौन रही है। जिनके संबंध में न तो कोई रिपोर्ट पुलिस द्वारा लिखी गई और न ही कोई मेडीकल कराया गया। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी के कथन लेने और उनका मेडीकल करने में पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। वास्तव में पुलिस को इन दोनों साक्षियों का मेडीकल परीक्षण कराना चाहिए था और उनके कथन लेने चाहिए थे क्योंकि सारी घटना उनके कारण ही होना बताई गई है अर्थात् उनकी मारपीट होना बताया गया है। इस मामले में वे ही सर्वोत्तम साक्षी थे, जिन्हें साक्षी के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कि आत्माराम शर्मा तत्कालीन थाना प्रभारी मालनपुर एवं मदन दुबे तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना मालनपुर के

द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा प्रकट होती है और विवेचना में जान बूझकर की गई कमी है।

31. सुनीता शर्मा ब०सा०-02 ने यह बताया है कि साक्ष्य देने की दिनांक 21.02.17 से लगभग पांच साल पहले रात के लगभग 2:30-03:00 बजे अपने घर पर बने कमरे में थी। मनीष भदौरिया, राकेश, उमेश व ग्यासीराम आए तथा जिस कमरे में वह सो रही थी, उसका दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और कहा कि भाई साहब आप कैसे ? तब वे लोग गाली गलौज करने लगे कि तुम्हारे पति ने जो प्राइवेट इस्तगासा किया है, उसे वापस ले लो नहीं तो तुम पर उल्टा केस लगाएंगे, तब इस साक्षी ने बोला भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो ? तब वे उसकी मारपीट करने लगे, वह चिल्लाई तो उसकी लड़की राखी शर्मा आ गई और वे लोग उसकी बच्ची से छेड़खानी का प्रयास करने लगे, चिल्लाने पर उसका पति मंगलप्रसाद व लड़का मुकेश आ गए। दो लोग भाग गए, एक बंदूक तथा एक मोबाइल छोड़कर भाग गया था। उसके पति ने सरपंच के पति महेन्द्र को बुलाया, तब वे आए और टी.आई. साहब भी आ गए। उन्होंने सरपंच के पति महेन्द्र को बंदूक व मोबाइल दे दिया और महेन्द्र ने बंदूक व मोबाइल टी.आई. साहब को दे दिया।

32. सुनीता शर्मा ब०सा०-02 ने यह भी बताया है कि मारपीट से उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, बच्ची राखी को भी दाहिने हाथ में चोट थी। टी.आई. साहब ने आश्वासन किया था कि सुबह आ जाओ वे पुलिस वालों के खिलाफ कायमी कर लेंगे। जब वह अपनी लड़की को लेकर और महेन्द्र सरपंच को लेकर थाने गईं तो पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद वे एस.पी. भिण्ड के पास गए और वहां पर भी आवेदन देकर आए और वहां पर भी सुनवाई न होने पर इस्तगासा पेश किया। जो विचाराधीन है। आई.जी. को जो आवेदन दिया था, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-10 होना बताया है। इसी प्रकार कुमारी राखी शर्मा ब०सा०-05 ने मां के द्वारा दरवाजा खोलने पर दो लोगों के द्वारा मां की मारपीट करना और गाली गलौज करना बताया है। चिल्लाने पर उसकी भी मारपीट करना बताया है, जोर से चिल्लाने पर पापा अर्थात् मंगू और भाई अभियुक्त भोलू का आना और उन्हें देखकर भाग जाना बताया है। भागने वालों में एक बंदूक और मोबाइल वहीं छोड़कर जाना बताया है और यह भी बताया है कि मारपीट से उसे व उसकी मां को कई जगह चोटें आई थीं। उक्त चारों पुलिस वाले मनीष, उमेश, ग्यासीराम, व राकेश थे।

33. महेन्द्र जाटव ब०सा०-03 ने बचाव पक्ष की उक्त साक्ष्य की पुष्टि की है और बताया है कि 3-4 जनवरी 2012 की रात्रि में मालनपुर टी.आई. साहब आत्माराम शर्मा का फोन उनके पास आया था। कि आप मंगल प्रसाद शर्मा के घर की तरफ आ जाओ, वह भी पहुंच रहे हैं, घाटना हो गई है। उनके सिपाही की बंदूक और मोबाइल उनके घर पर

रह गए है। वहां पहुंचने पर आवाज लगाने पर मंगू नीचे उतर कर आए और उन्होंने टी.आई. साहब को बताया कि उसके घर की दीवार पर चढ़कर सिपाही घुस आए थे और उसकी पत्नी और बच्ची की मारपीट करने लगे, तब तक सुनीता भी आ गई और रो-रो कर बताया कि आपके सिपाहियों ने मारा है। टी.आई. साहब ने कहा कि आप सुबह दिन निकलते ही थाने पर आ जाना, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमारी बंदूक हमें वापस दे दो। तब इस साक्षी ने मंगलप्रसाद से कहा और मंगलप्रसाद बंदूक व मोबाइल लेकर आए और उनके सामने ही बंदूक व मोबाइल सौंप दिया। उस समय बंदूक कहीं टूटी फूटी, कटी फटी नहीं थी। टी.आई. साहब बंदूक लेकर थाने चले आए। सुबह 08:00 बजे यह साक्षी मंगू और उसकी पत्नी के साथ थाना मालनपुर गए तब पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया।

34. अभियुक्त मंगू उर्फ मंगलप्रसाद ब०सा०-०१ ने भी उपरोक्त आधार व घटना बताते हुए सरपंच महेन्द्र जाटव के द्वार घर पर छोड़ी गई बंदूक आत्माराम शर्मा को देना बताया है। यह भी बताया है कि जब वह और उसकी पत्नी रिपोर्ट करने गए, तो रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। जिसकी शिकायतें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की। इस साक्षी ने 2010 में हुई घटना के संबंध में परिवार पेश करने और उसकी आदेश पत्रिका तथा परिवार की प्रमाणित प्रतिलिप प्र०डी०-०४ और प्र०डी०-०५ होना बताया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई पोस्ट ऑफिस की रसीदों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-०६ होना बताया है। इसी प्रकरण से संबंधित घटना के संबंध में पेश किए गए परिवार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-०७, एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र०डी०-०८ एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र०डी०-०९ होना बताया है।

35. महेन्द्र शर्मा ब०सा०-०६ ने यह बताया है कि मंगू उसका भाई है तथा मेहताब व भोलू भतीजे हैं तथा राजवीर उर्फ टोला उसका पुत्र है। स्पष्ट है कि राजवीर इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अभियोजन साक्षी क्रमांक ०१ है। जिसके बारे में महेन्द्र शर्मा ब०सा०-०६ यह कहता है कि राजवीर उससे अलग रहता है और नेता स्टाइल में रहता है और पुलिस के साथ भी घूमता रहता है। उसका लड़का राजू उससे कहता है कि “तू अपने भाई मंगू के यहां नहीं जाएगा और यदि तू मंगू के घर पर गया तो मंगू को मैं फंसवा दूंगा” इसी बात से उसका लड़का राजवीर उर्फ टोला मंगू एवं मेहताब आदि से रंजिश रखता है।

36. इस मामले में केशवसिंह अ०सा०-०२ ने पैरा-०१ में यह बताया है कि पुलिस वालों के कपड़े फटे हुए थे परंतु अन्य किसी साक्षी ने ऐसा नहीं बताया है कि कपड़े भी फट गए थे। केशवसिंह अ०सा०-०२ ने पैरा-०७ में यह बताया है कि पुलिस वाले खून से भिड़े थे इसलिए वह नहीं बता सकता कि पुलिस वालों ने ड्रेस पहनी थी अथवा सिविल कपड़ों में थे महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि अभियोजन के ही साक्षी को यह पता नहीं है कि पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पहनी थी या

नहीं पहनी थी, जिससे कि निश्चित तौर पर इन चारों आरक्षक एवं सैनिकों पर असत्यता का प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ग्यासीराम अ०सा०-08 ने पैरा-10 में यह बताया है कि उमेश की वर्दी की शर्ट खून से बिगड़ गई थी। राकेश अ०सा०-13 ने पैरा-10 में यह बताया है कि खून से उमेश की वर्दी और बनियान बिगड़ गई थी। आत्माराम अ०सा०-10 ने पैरा-07 में यह बताया है कि सैनिक उमेश शर्मा के कपड़ों पर खून था। परंतु उमेश अ०सा०-06 ने पैरा-15 में यह बताया है कि उसकी वर्दी जप्त नहीं हुई थी।

37. गजेन्द्र अ०सा०-15 ने पैरा-08 में यह बताया है कि आरक्षकगण की पुलिस की गणवेश की शर्ट पर रक्त के धब्बे थे अन्य ड्रेस पर भी रक्त के धब्बे थे लेकिन उन्होंने जप्त नहीं किए। आत्माराम शर्मा अ०सा०-10 के द्वारा या किसी भी अन्य विवेचना अधिकारी द्वारा उमेश शर्मा या किसी अन्य पुलिस कर्मी की वर्दी जप्त नहीं की गई है। इसका यही कारण है कि वास्तव में ऐसा कोई रक्त था ही नहीं अन्यथा वर्दी जप्त की जाती। जप्तशुदा बनियान व खून के धब्बे आदि के संबंध में आत्माराम अ०सा०-10 ने पैरा-07 में यह बताया है कि उमेश के सिर की चोट का खून गिर कर बनियान में लगा था, इसलिए उसके द्वारा बनियान उतरवाकर जप्त की थी, जबकि उमेश व अन्य साक्षियों ने उमेश के द्वारा वहीं पड़ी बनियान को सिर में चोट पर लगाना बताया है उमेश अ०सा०-06 ने पैरा-15 में बताया है कि जो बनियान जप्त हुई थी वह उसकी नहीं थी। गजेन्द्र अ०सा०-15 ने पैरा-04 में यह बताया है कि आरक्षक उमेश की शर्ट व बनियान में खून लगा देखा था। राकेश अ०सा०-13 ने पैरा-10 में यह बताया है कि खून से उमेश की वर्दी और बनियान बिगड़ गए थे। उसने यह भी बताया है कि उस समय वर्दी पर भी खून के धब्बे देखे थे। गजेन्द्र अ०सा०-15 ने पैरा-05 में बताया है कि उमेश से खून आलूदा बनियान उसके सामने उतवाई गई थी।

38. राकेश अ०सा०-13 ने पैरा-10 में यह बताया है कि भोलू के द्वारा मारी गई कुल्हाड़ी के पहले प्रहार से बट पर निशान नहीं बना था, दूसरे प्रहार से बंदूक के चेंबर के आगे वाली लकड़ी टूट गई थी, अर्थात् दूसरे प्रहार के कारण बंदूक टूट गई थी। परंतु वहीं गजेन्द्र अ०सा०-15 ने पैरा-12 में यह बताया है कि कुल्हाड़ी लगने पर एक तरफ का पार्ट कट गया था। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि बंदूक की बट के संबंध में न्यायालय द्वारा नोट लगाया गया है जिसके अनुसार कट का निशान नापने पर 10 से०मी० का दिख रहा है। जबकि कुल्हाड़ी को चार अंगुल अथवा 06 से०मी० का बताया गया है। प्र०पी०-14 के जप्तीपंचनामे के अनुसार भी जप्तशुदा कुल्हाड़ी की धार का हिस्सा 10 से०मी० का न होकर लगभग 6 से०मी० का होना प्रकट है। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि उसी कुल्हाड़ी के प्रहार से रायफल पर कट का निशान आया। यही कारण है कि साक्षी राजवीर अ०सा०-01 ने मुख्यपरीक्षण में यह बताया ही नहीं है कि भोलू ने पहले कुल्हाड़ी से दो बार किए जिससे बंदूक टूट गई थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के द्वारा बताया गया यह तथ्य कि बंदूक कुल्हाड़ी

के वार से टूटी, असत्य हो जाता है।

39. जहां तक कि आहतगण को आई चोटों का प्रश्न है। मनीष अ0सा0-05 ने पैरा-01 में यह बताया है कि मेहताब ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसका नोकिया मोबाइल छुड़ा लिया। मंगू ने डण्डे से उसकी मारपीट की। जबकि उमेश अ0सा0-06 यह पैरा-02 में यह कहता है कि अभियुक्तगण मंगू और मेहताब ने उसकी और मनीष की मारपीट की। मनीष अ0सा0-05 कहता है कि मंगू ने राकेश की मारपीट कर धक्का देकर गिरा दिया। ग्यासीराम अ0सा0-08 ने पैरा-01 में बताया है कि मेहताब ने मनीष के मुंह में मुक्का दिया और उसका नोकिया कंपनी का मोबाइल छीन लिया। आत्माराम शर्मा अ0सा0-10 ने पैरा-12 में यह बताया है कि मुलाहिजा फार्म भरते समय मनीष के मुंह में मुक्के का निशान उन्होंने अंकित नहीं किया है। डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने मनीष के मुंह पर कोई चोट ही नहीं पाई है। जबकि राकेश अ0सा0-13 पैरा-2 में कहता है कि मेहताब ने एक मुक्का आरक्षक मनीष के मुंह में मारा जिससे उसको खून निकलने लगा। परंतु चिकित्सीय साक्षी ने मुंह पर कोई चोट नहीं पाई है। मुलाहिजा फार्म में भी कोई चोट नहीं है स्पष्ट है कि उसके मुंह पर कोई मुक्का नहीं मारा गया और न ही मोबाइल छीना गया।

40. डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि आहत मनीष को आई सभी चोटें स्वकारित की जा सकती हैं। आहत मनीष को आई उक्त चोटें भागते समय गिरने पर आना संभव है। पैरा-08 में यह बताया है कि उमेश की चोट नंबर 1 स्वकारित की जा सकती है या बनवाई जा सकती है। राकेश अ0सा0-13 ने पैरा-08 में यह बताया है कि उमेश को केवल एक चोट मंगू के घर पर देखी थी, मनीष को दाईं जांघ में चोट देखी थी, उसने उक्त चोटों के अलावा अन्य कोई चोट नहीं देखी। इस प्रकार इस साक्षी ने उमेश व मनीष के केवल एक एक चोट देखना बताया है जबकि चिकित्सीय साक्षी ने मनीष के चार चोटें तथा उमेश के तीन चोटें अंकित की हैं। राजवीर अ0सा0-01 ने पैरा-01 में यह बताया है कि मंगू ने पुलिस वाले मनीष व उमेश की डण्डे से मारपीट की, अभियुक्त मेहताब ने मनीष के मुक्का मारा, उसने उमेश को एक चोट कुल्हाड़ी की देखी थी, जो चार अंगुल लंबी चोट थी। उक्त चोट के अलावा उमेश को अन्य चोट नहीं देखी। जिससे कि स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई चोट आई ही नहीं।

41. यही कारण है कि गजेन्द्र अ0सा0-15 ने पैरा-07 में यह बताया है कि मुलाहिजा फार्म प्र०पी०-07 भरते समय आरक्षक उमेश ने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोट आना नहीं बताया था, यदि वह बताता तो यह साक्षी अवश्य लिखता। जबकि डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने दाएं हाथ की अनामिका उंगली ने 0.3 गुणा 0.2 सेंटीमी० के छिलन का घाव दर्ज किया है। गजेन्द्र अ0सा0-15 ने पैरा-07 में यह स्पष्ट किया है कि आरक्षकों ने घटना व मारपीट के संबंध में

थाने पर नहीं बताया था। तब पूछने पर उन्होंने यह बताया था कि उनकी मारपीट हो गई थी, इसलिए भूल गए, जबकि मारपीट होने पर अवश्य ही बताया जाता है जबकि इस प्रकार बताया न जाना अभियोजन मामले को असत्यता की ओर ले जाता है। ग्यासीराम अ०सा०-08 ने पैरा-10 में यह बताया है कि उमेश के सिर में कुल्हाड़ी की चोट सामने से दी थी अर्थात् सामने माथे पर चोट थी। राजवीर अ०सा०-01 भी पैरा-09 में यह बताया है कि आरक्षक उमेश के माथे पर चोट थी, सामने से माथे पर चोट थी। जबकि उमेश अ०सा०-06 ने सिर में बाईं तरफ कुल्हाड़ी मारना बताया है। मनीष अ०सा०-05 ने पैरा-12 में बताया है कि उसे कुल दो चोटें थी पहली बाएं पैर में तथा दूसरी बाएं हाथ की छोटी उंगली में। जबकि डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-03 ने चार चोटें पाई हैं स्पष्ट है कि चोटों के संबंध में अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से कतई नहीं हो रही है।

42. मनीष अ०सा०-05 ने पैरा-08 में यह बताया है कि वह नहीं बता सकता कि मंगू के घर से घायल अवस्था में उन्हें कोई अन्य पुलिस बल थाने लेकर आया था या वे स्वतः ही थाने आए थे स्पष्ट है कि घटना कुछ और है और उसे इस प्रकार की घटना के रूप में बनावटी या नाटकीय स्वरूप दिया गया है। यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि जो पिटा हो उसे यही नहीं पता हो कि वह स्वयं थाने गया था या उसे कोई उठाकर थाने ले गया था। यद्यपि उसने पैरा-06 में यह व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि हम से कुछ लोग मंगू के घर में पकड़ लिए गए थे और कुछ भाग गए थे। परंतु संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से ऐसा प्रकट हो रहा है कि घटना कुछ और है तथा पुलिस के द्वारा उसे कुछ और स्वरूप दे दिया गया है। मामले में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उक्त चारों के द्वारा कुछ अपराध किया गया और उनमें से सभी को या कुछ को पकड़ लिया गया और इस घटना को पुलिस के द्वारा छिपाया गया तथा उल्टे आहतगण के विरुद्ध प्रकरण बना दिया अर्थात् जिन्हें अभियोजित होना था वे अभियोजित करने लगे और जिन्हें अभियोजन करना था उनके विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ कर दिया गया।

43. आत्माराम शर्मा अ०सा०-10 ने पैरा-07 में यह बताया है कि उपरोक्त चारों आरक्षक व सैनिक थाने पर अपनी बंदूकें साथ लेकर आए थे चारों आरक्षक व सैनिक ने एफआईआर लिखाते समय बंदूक व कारतूस एच.सी.एम को सुपुर्द किए थे, एफआईआर लिखने से पहले सुपुर्द नहीं किए थे। तत्कालीन एच.सी.एम. अर्थात् प्रधान आरक्षक लेखक गजेन्द्र अ०सा०-15 ने अपने संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में ऐसा बताया ही नहीं है कि टूटी हुई रायफल भी उसको दी गई थी। अपितु आत्माराम शर्मा के द्वारा टूटी हुई रायफल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-17 बनाया जाना बताया है। टूटी हुई रायफल के संबंध में उमेश से जप्त होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है और न ही प्रधान आर० लेखक को उक्त रायफल सुपुर्द करने संबंधी भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार उमेश से उक्त रायफल मिलना या जप्त होना भी प्रमाणित नहीं है।

44. आत्माराम शर्मा अ०सा०-10 ने पैरा-09 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरक्षक मनीष ने प्र०पी०-15 की एफआईआर में बटुआ व 150/-रुपए छुड़ाए जाने का उल्लेख नहीं कराया था। यद्यपि प्र०डी०-01 के बयान में उक्त तथ्य बताया जाना बताया है परंतु जहां कि चारों आरक्षक व सैनिक थाने पर लौटे थे और पर्स की लूट हुई थी, तब निश्चित तौर पर लुटने वाले के द्वारा यह बताया जाता कि उसे लूट लिया। वास्तव में लूट की कोई घटना ही नहीं हुई है, क्योंकि राजवीर अ०सा०-01 ने स्पष्ट कर दिया है पुलिस वालों का पर्स व परिचयपत्र गिर गया था। किसी के घर पर जाकर उसे लूटना एक स्वाभाविक तथ्य हो सकता है परंतु चार व्यक्ति चार रायफल के साथ और 50-50 राउण्ड के साथ किसी के घर जाते हैं और केवल तीन व्यक्तियों से लुट जाते हैं यह पूर्णतः अस्वाभाविक है तथा पुलिस द्वारा गढ़ी गई पूरी कहानी असत्य होना प्रकट है।

45. जहां तक कि दरवाजा खुला होने का प्रश्न है, ग्यासीराम अ०सा०-08 ने मुख्यपरीक्षण में ही यह बताया है कि मंगू के घर का दरवाजा खुला था अन्य साक्षियों ने भी यह बताया है कि मंगू के घर के दरवाजा खुला था। मनीष अ०सा०-05 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि किसी का कोई दरवाजा खुला हो तो बिना खटखटाए अंदर नहीं जाना चाहिए। यह भी स्वीकार किया है कि उसने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया था। रात्रि के 03:20 बजे दरवाजा खुला छोड़ना भी अपने आप में अस्वाभाविक है। यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि 03:30 बजे उठकर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की मारपीट की जावेगी और चार रायफल धरियों के घुसने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया जाएगा कि चार व्यक्ति आकर घर में घुस जाएं। अपितु स्वभाविक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सोने से पूर्व रात्रि में अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। इससे भी अभियोजन घटना असत्य होने की पुष्टि होती है।

46. मनीष अ०सा०-05 ने पैरा-03 में यह बताया है कि उसके पास फोन आने के पश्चात उसने थाना प्रभारी को कोई सूचना नहीं दी थी। पैरा-04 में घटनास्थल पर चीख सुनाई पड़ने के बाद भी उसके द्वारा थाना प्रभारी को महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आने से अवगत नहीं कराना बताया है। राकेश अ०सा०-13 ने भी पैरा-04 में यह बताया है कि थाने के एच.सी.एम. या थाना प्रभारी को फोन से अवगत नहीं कराया था। उमेश शर्मा अ०सा०-06 ने पैरा-09 में यह बताया है कि थाने पर सूचना नहीं दी थी। ग्यासीराम अ०सा०-08 ने पैरा-05 एवं 06 में यह बताया है कि गश्त प्रभारी कोकसिंह तोमर को सूचना नहीं दी, समता नगर में फोन आने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। जहां कि एक महिला की लगातार मारपीट हो रही थी और वह चिल्ला रही थी, तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत न कराया जाना यह स्पष्ट करता है कि वास्तव में इस प्रकार की घटना नहीं हो रही थी।

47. राकेश अ०सा०-13 ने पैरा-03 में बताया है कि वह ड्यूटी देने के लिए पैदल गया था। स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने नहीं बताया है कि वाहन से ड्यूटी देने गए थे। मनीष सिंह एवं ग्यासी को अभियोजन के अनुसार हनुमान चौराहे पर होना बताया है तथा राकेश व उमेश को समता नगर में ड्यूटी करना बताया है। रात्रि 03:20 बजे राकेश के द्वारा महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आने पर राकेश को फोन लगाना बताया है। मनीष अ०सा०-05 ने समता नगर से हनुमान चौराहे की दूरी 800 मीटर होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में पैदल पैदल 800 मीटर चलने लगभग 7-8 मिनट का समय अवश्य लगेगा। समता नगर आने पर राकेश आदि के द्वारा घटना बताने पर भी 2-3 मिनट का समय अवश्य लगेगा। यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की पिटाई लगा रहा हो तब वह लगातार पिटाई लगाता रहेगा और ग्यासी और मनीष के आने का इंतजार करेगा। जिस प्रकार से अभियोजन घटना बताई जा रही है वह स्वाभाविक ही नहीं है।

48. गजेन्द्र अ०सा०-15 पैरा-05 में यह कहता है कि प्र०पी०-19 व 20 के ड्यूटी प्रमाणपत्र उसके द्वारा जारी किए गए थे, जिसके बी से बी भाग पर किसके हस्ताक्षर थे वह नहीं बता सकता है। यह भी बड़ा अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि बी से बी भाग पर उसके न होने के बावजूद भी उसे स्वयं के द्वारा जारी करना बता रहा है। प्र०पी०-19 एवं प्र०पी०-20 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उसके नीचे थाना प्रभारी की सील लगी हुई है और बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। कोकसिंह अ०सा०-09 ने पैरा-02 में यह बताया है कि प्र०पी०-19 और 20 के बी से बी भाग पर टी.आई. साहब आत्माराम शर्मा के हस्ताक्षर हैं। जबकि आत्माराम शर्मा अ०सा०-10 पैरा-14 में यह कहता है कि प्र०पी०-19 व प्र०पी०-20 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त तीनों ही साक्षियों के द्वारा प्र०पी०-19 के तथाकथित कार्य प्रमाणपत्र के फार्म के दायित्व से बचने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे कि स्पष्ट है कि तीनों की साक्षियों को यह पता है कि यह प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा फर्जी तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। जिसके लिए संबंधित के विरुद्ध धारा-467 एवं 468 भा०दं०सं० के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

49. यही कारण है कि राकेश अ०सा०-3 ने पैरा-3 में स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी पर जाने का लिखित में आदेश नहीं दिया गया था जबकि पुलिस के द्वारा प्र०पी०-19 एवं प्र०पी०-20 के लेखीय प्रमाणपत्र ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जो कि अपने आप में यह दर्शाते हैं कि चारों आरक्षक व सैनिकों को अभियोजित किए जाने से बचाने के लिए फर्जी तौर पर बनाए हैं। यही कारण है कि उसमें बाद में कांट छांट की गई है अर्थात् दिनांक 03.01.12 में कांट छांट कर ओवर राइटिंग कर दोनों प्रमाणपत्रों में दिनांक 04.01.12 कर दी गई है। कोकसिंह अ०सा०-09 ने पैरा-03 में यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-19 एवं प्र०पी०-20 पर रवानगी व वापसी का समय अंकित नहीं है। वास्तव में प्रमाणपत्र सही होते तो रवानगी का समय उसमें अंकित

होता। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि कोकसिंह अ०सा०—09 ने यह बताया है कि जब उसने आरक्षकों को चेक किया था तब उनके पास प्र०पी०—19 व 20 के प्रमाणपत्र मिले थे, जिन पर रोजनामचा सान्हा नंबर 108 पहले से पड़ा था। इस साक्षी ने आरक्षकों एवं सैनिक को चेक करना बताया है।

50. प्र०पी०—19 एवं प्र०पी०—20 के प्रमाणपत्र पर 01:30 बजे एव 02:10 बजे उन्हें चेक करने की टीप लगाई है और यह स्वीकार किया है कि चेक करते समय रोजनामचा क्रमांक 108 पहले से लिखा हुआ था। स्पष्ट है कि जिस समय चेक करना बताया गया है उस समय तक पुलिस के अनुसार घटना भी नहीं हुई थी तथा चारों की वापसी भी थाने पर नहीं हुई थी, जब वापसी नहीं हुई थी तब वापसी का रोजनामचा सान्हा नंबर 108 कैसे लिखा था, यही यह दर्शाता है कि अपराधी अपराध करते समय कोई न कोई सुराग या सबूत जाता हैं। इस मामले में भी उपरोक्त विवेचना के अनुसार कार्य प्रमाणपत्र पूरी तरफ से फर्जी होना प्रमाणित है।

51. जहां तक कि जप्ती का प्रश्न है राजवीर अ०सा०—01 ने पैरा—10 में यह बताया है कि प्र०पी०—01 लगायत प्र०पी०—03 में क्या लिखा है उसे पता नहीं है। उमेश अ०सा०—06 ने पैरा—05 में शासकीय बंदूक बट नंबर 12 उसके सामने थाने पर टी.आई. साहब द्वारा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०—17 बनाया जाना बताया है। उमेश के द्वारा रायफल बट नंबर 12 किसे जप्त कराई गई या किसे सुपुर्द की गई, ऐसी साक्ष्य ही नहीं है, अपितु गजेन्द्र से जप्त करने की साक्ष्य है। इस मामले में चार चार व्यक्तियों के पास रायफल एवं कारतूस होने के बावजूद भी तरह की घटना हो गई और बचाव में चारों में से किसी ने रायफल का प्रयोग नहीं किया यह पूर्णतः अस्वाभाविक है वास्तव में चारों विधि अनुसार कार्य कर रहे होते तो अपराधी के विरुद्ध रायफल का उपयोग करते क्योंकि रायफल उन्हें इसीलिए दी गई थी कि वे उसका उपयोग करें।

52. घटनास्थल पर पिट जाने के तथ्य को बताया जाना भी यह इंगित करता है कि वास्तव में इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई है। तीन व्यक्तियों के लिए तो केवल दो व्यक्ति और दो रायफल ही पर्याप्त थी, दो और व्यक्तियों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा हो तथा कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो और पुलिस कर्मी/सैनिक जिसके पास रायफल हो, अपनी रायफल का उपयोग की न करे अपितु पिटता ही रहे। चार रायफलधारी पुलिस बल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हमला करने की हिम्मत बहुत ही न्यून मामले में हो सकती है सामान्य मामले में नहीं। रायफल होते हुए कुल्हाड़ी से किए गए वार को रायफल पर रोकना भी अस्वाभाविक है। यह भी असंभव है कि तीन बिना बंदूकधारी व्यक्तियों ने चार बंदूकधारी व्यक्तियों को लूट लिया।

53. जहां तक जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारने का प्रश्न है, इस संबंध में मनीषसिंह अ.सा.—5 ने यह बताया है कि सैनिक उमेश

को अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से हमला किया था। उमेश शर्मा अ.सा.-6 ने भी पैरा-2 में भोलू ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी सिर में मारी थी। परंतु उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट है कि कुछ साक्षी माथे पर और कुछ सिर के बांयी ओर वार करना बता रहे हैं। डॉ० आलोक शर्मा अ.सा.-3 ने पैरा-9 में यह बताया है कि आहतगण को आई चोटें प्राणघातक नहीं थीं। उमेश के सिर की चोट 0.2 से.मी. की गहरी होना बतायी गयी है। यदि वास्तव में जान से मारने की नीयत से वार किया जाता है तो इससे अधिक गहरी चोट आती, वैसे ही डॉक्टर आलोक शर्मा अ.सा.-3 ने प्राणघातक न होना बताया है। पैरा-8 में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि आहत उमेश की चोट नं०-1 स्वकारित की जा सकती है या बनवायी जा सकती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर जहां कि अभियोजन मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है, वहां जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारना प्रमाणित नहीं होता है।

54. मदन दुबे अ.सा.-4 ने पैरा-3 में यह बताया है कि बंदूक के बट पर आई कुल्हाड़ी के कट के निशान जप्तशुदा कुल्हाड़ी से मिलते हैं, या नहीं, इस संबंध में उसने विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं मंगायी थी। यह स्पष्ट कर दिया है कि बंदूक अन्य अधिकारी ने जप्त की थी तो उसे जांच कराना चाहिये थी, कि बंदूक पर आई क्षति कुल्हाड़ी से आना संभव थी या नहीं। आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 ने पैरा-11 में बताया है कि बट नंबर-12 की जांच एफ एस एल से नहीं कराई थी। इस मामले में दो विवेचना अधिकारी हैं, प्रथम आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के साथ साथ घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.-16 बनाया जाना बताया है। साथ ही साथ एचसीएम गजेन्द्रसिंह के द्वारा एक रायफल मार्क थ्री सर्विस नंबर-19060 बट नंबर-12, जिसकी लकड़ी टूटी हुई थी, को पेश करने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.-17 बनाया जाना तथा उमेश शर्मा से खून लगी हुई बनियान जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.-18 बनाया जाना बताया है। इसके बाद उसने साक्षियों के कथन लेना बताया है।

55. इसके बाद की विवेचना मदन दुबे अ.सा.-4 ने की है, जिन्होंने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, धारा-27 के मेमोरेण्डम व जप्ती करना बताया है, स्पष्ट है कि यह आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 या विवेचना अधिकारी मदनदुबे अ.सा.-4 का यह कर्तव्य था कि वे जप्तशुदा टूटी हुई बंदूक को इस रिपोर्ट की प्राप्ति हेतु जांच के लिए भेजने कि संबंधित कुल्हाड़ी से बंदूक के बट पर उक्त कट के निशान आ सकते हैं या नहीं, या उक्त निशान उक्त कुल्हाड़ी के हैं या नहीं। परंतु दोनों ही साक्षियों ने इस कार्यवाही को नहीं किया है और न्यायालय में कार्यवाही न करने का कारण एक दूसरे पर टाला है। वास्तविक जिम्मेदारी थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 की थी कि वह जप्तशुदा बंदूक की जांच कराते। जहां कि इस प्रकार की जांच नहीं कराई गयी हो और उपरोक्त विवेचना के अनुसार बंदूक की बट पर 10 से.मी. का निशान पाया गया है, जिसके बारे में न्यायालय का यह अभिमत है कि 6 से.मी.

की कुल्हाड़ी से 10 इंच का निशान नहीं आ सकता है, तब ऐसी स्थिति में जांच न कराये जाने का भी प्रतिकूल आशय यही लगाया जायेगा कि वास्तव में उक्त कुल्हाड़ी से बट पर निशान आये ही नहीं हैं।

56. और भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय यह है कि मदन दुबे अ.सा.

—4 के पैरा-10 अनुसार जप्तशुदा कुल्हाड़ी में खून के कोई धब्बे नहीं थे। जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि इस कुल्हाड़ी से मारने से कोई खून निकला होगा। यही कारण है कि कुल्हाड़ी पर खून के धब्बे होने के संबंध में या उक्त कुल्हाड़ी से उक्त चोट आने के संबंध में एफ.एस.एल. जांच हेतु या डाक्टर के पास क्वेरी हेतु भी कुल्हाड़ी नहीं भेजी गयी है। वास्तव में थाना मालनपुर के पुलिस प्रबंधन के ज्ञान में ही यह तथ्य था, घटना इस प्रकार से हुई नहीं है और यदि वस्तुओं को जांच के लिए भेजा जाता है तो उसके नकारात्मक या विपरीत ही परिणाम आयेंगे, इसी कारण से वस्तुओं को जांच के लिए भेजा ही नहीं गया।

57. जप्तशुदा बनियान और रक्त को एफ एस एल की ओर इस हेतु

जांच के लिए भेजे जाने संबंधी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उस पर मानव रक्त है अथवा नहीं। उपरोक्तानुसार वर्दी पर खून लगना भी बताया है परंतु वर्दी को न तो जप्त किया गया और न ही उसकी कोई जांच की गयी है, इस प्रकार इन तथ्यों से अभियोजन साक्ष्य की कतई पुष्टि नहीं हो रही है और बनियान आदि को जांच के लिए नहीं भेजना अभियोजन के विपरीत ही निष्कर्ष निकालता है।

58. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि घटना दि०-4/01/2012

की है, दि०-5/4/2013 अर्थात् करीब सवा वर्ष के पश्चात् मंगू उर्फ मंगलप्रसाद से प्र.पी.-3 अनुसार एक डण्डा तथा काले रंग का पर्स जिसमें 150 रुपये तथा आई कार्ड जप्त करना दि०-22/03/2013 को अर्थात् लगभग सवा वर्ष के पश्चात् मेहताब राय से प्र.पी.-13 के अनुसार नोकिया कंपनी का मोबाइल तथा भोलू उर्फ मनीष से उसी दिनांक को प्र.पी.-14 के अनुसार लोहे की कुल्हाड़ी जप्त करना बताया गया है, यह बड़ा हास्यास्पद है और संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उन्हें अभियोजित किए जाने का कारण है कि नाटकीय ढंग से पुलिस के द्वारा कार्यवाही करना और जप्ती करना बताया है। प्रश्न यह है कि क्या सवा वर्ष तक मंगू 150 रुपये अपने पास ही रखे रहा और पुलिस से उक्त माल को जप्त कराने का इंतजार करता रहा कि पुलिस उसके पास आयेगी और उक्त 150 रुपये व पर्स जप्त करेगी? और उक्त 150 रुपये को भी खर्च नहीं किया। जप्तशुदा सामान को भी नष्ट नहीं किया या छिपाया नहीं, अपने घर पर ही रखे रहे। यह पूर्णतः असंभव, अप्राकृतिक व अस्वाभाविक है। वस्तुओं को लगभग सवा वर्ष के पश्चात् अभियुक्तगण के घर से ही जप्त किया जाना पूरी तरह से अस्वाभाविक है।

59. प्र.आर. रणवीरसिंह अ.सा.-11 पैरा-4 में यह बताया है कि प्र.पी.

—13 का जप्तशुदा मोबाइल उसने देखा था परंतु उसे याद नहीं है कि उसका रंग कैसा था, उक्त मोबाइल में किस कंपनी की सिम पड़ी थी, सिम नंबर क्या था। पैरा-5 में उसने यह बताया है कि कुल्हाड़ी की नाप उसे याद नहीं है, दसोगाजी ने कुल्हाड़ी की नापतौल की थी। मदन दुबे अ.सा.-4 ने पैरा-8 में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जप्तशुदा मोबाइल की शिनाख्ती फरियादी से कराये जाने बावत पंच, सरपंच या पटेल को तहरीर लेकर शिनाख्त कराये जाने का निवेदन नहीं किया। पैरा-9 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने मनीष आरक्षक से उक्त मोबाइल उसका होने के संबंध में कोई बिल या रसीद नहीं ली थी। इस प्रकार जप्तशुदा वस्तुओं की कोई शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गयी है जिससे कि यह प्रमाणित नहीं होता है कि जप्तशुदा मोबाइल, पर्स आदि मनीष के थे अथवा नहीं। वैसे भी ग्यासीराम अ.सा.-8 पर्स को राकेश का होना बताता है, उमेश शर्मा अ.सा.-6 पर्स को मनीष का होना बताता है।

60. अभियोजन के अनुसार राकेश अ.सा.-13 के द्वारा अपने फोन से मनीष भदौरिया को फोन करना बताया है, परंतु पुलिस के द्वारा उक्त फोन की कोई कॉल डिटेल् नहीं निकाली गयी है। मनीष के नोकिया मोबाइल के संबंध में भी कोई कॉल डिटेल् नहीं निकाली गयी है, जोकि अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के घर लगभग सवा साल रहा है। यदि दोनों फोन की कॉल डिटेल् निकाली जाती तो निश्चित रूप से यह सच्चाई सामने आ जाती कि राकेश ने फोन से मनीष को बुलाया अथवा नहीं और इस सवा साल की अवधि में मनीष के मोबाइल फोन से मनीष के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा फोन किए गये या नहीं। जिसका कि यह प्रतिकूल आशय निकाला जायेगा कि पुलिस के द्वारा जानबूझकर कॉल डिटेल् नहीं निकलवाई गयी अन्यथा सच्चाई उजागर हो जाती।

61. जहां तक कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न है, मनीष अ.सा.-5 यह कहता है कि अभियुक्तगण ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, परंतु वही राकेश अ.सा.-13 पैरा-2 में कहता है कि मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गये थे, जिन्होंने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। जिसका अर्थ यह निकलता है कि पुलिस के उपरोक्त चारों कर्मियों किसी अवैध उद्देश्य से अथवा अपराध के आशय से वहां पर गये थे और मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने पर वे वहां से भाग गये, जिसको राकेश शासकीय कार्य में बाधा होना बताता है।

62. आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-8 में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-15 के कॉलम नंबर-02(4) एवं 3(सी) रिक्त हैं। प्र.पी.-15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि कॉलम नंबर-3 (अ) एवं (स) अर्थात् संदर्भित रोजनामचा क्रमांक के कॉलम खाली है, स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाते समय रवानगी व वापिसी के रोजनामचा नहीं लिखे गये थे। यदि वास्तव में रोजनामचा क्रमांक लिखे गये होते तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-15 में इसका उल्लेख होता। प्रथम सूचना

रिपोर्ट पी.-15 का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट है कि कॉलम नंबर-2(1) अर्थात किस अधिनियम की किस धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, वह पहले खाली था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के बाद विधान के कॉलम में "आई पी सी" तथा धाराएं के कॉलम में "307/394/353/333/427" गहरे रंग के पेन से लिखा है, शेष प्रथम सूचना रिपोर्ट हल्के रंग के पेन से लिखी है जिससे कि स्पष्ट है कि यह धाराएं बाद में लिखी गयी हैं। धारा-"333" भी ओवरराइटिंग कर लिखी हुई प्रकट हो रही है और वैसे भी अभियोजन के अनुसार कोई गंभीर उपहति नहीं पायी गयी है तब ऐसी स्थिति में अभियोजन के प्रतिकूल आशय ही लगाया जायेगा।

63. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि इस मामले का जो आधार है उसी आधार के संबंध में पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभियोजन के अनुसार मंगू अपनी पत्नी सुनीता की मारपीट रात्रि 3:20 बजे के लगभग कर रहा था। सुनीता की लड़की राखी अपनी मां को बचा रही थी और उसे भी बीच बचाव में डण्डे लग गये। परंतु इस मामले में पुलिस के द्वारा न तो सुनीता का कोई कथन लिया गया, और न ही राखी का कोई कथन लिया गया। यदि सुनीता और राखी का कथन लिया गया होता तो यह वास्तविकता सामने आती कि वास्तव में उक्त आरक्षक व सैनिक किस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मंगू के घर पर बिना अनुमति दरवाजे में प्रवेश कर उसके घर में प्रवेश कर गये थे।

64. राकेश अ.सा.-13 ने पैरा-12 में यह व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि मंगू की पत्नी को चोटें थीं और उसका एक्सरे गोहद अस्पताल में हुआ या नहीं। जिससे कि प्रकट है कि साक्षी सुनीता की चोटों से अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है। राजवीर अ.सा.-1 ने पैरा-7 में स्पष्ट किया है कि चाची सुनीतादेवी ने पुलिसवालों से नहीं कहा कि मुझे बचाओ, मेरी रिपोर्ट लिख लो। पैरा-9 में उसने बताया है कि उसके सामने सुनीतादेवी ने अपने पति, लडके व देवर के विरुद्ध पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखायी। फिर यह बताया है कि राखी व सुनीतादेवी के शरीर में अनगिनत चोटें आयीं थीं। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि आगे उसने यह बताया है कि उसे नहीं पता कि पुलिस ने मारा है या अन्य ने मारा है। स्पष्ट है कि यह साक्षी तथ्यों को छिपा रहा है।

65. यदि सुनीता और राखी को चोटें थीं तो पुलिस का यह कर्तव्य था कि वह सुनीता और राखी की चोटों का मेडीकल कराती और उनका कथन लेती। सही और गलत का फैसला पुलिस को नहीं करना था, अपितु न्यायालय को करना था। यदि सुनीता और राखी की मारपीट अभियुक्तगण द्वारा की गयी होती तो सुनीता व राखी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी जाती क्योंकि सुनीता को कोई साधारण चोट नहीं आई है, अपितु प्र.पी.-8 के अनुसार उसे चार चोटें आई हैं। जो सीधे हाथ, बांयी अग्र भुजा, स्कैपुलर रीजन तथा सीधे पैर में हैं। प्र.पी.-8 के अनुसार उक्त मेडीकल परीक्षण न्यायालय न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी गोहद के आदेश से हुआ है और दि0-05/01/2012

को शाम 5:40 बजे हुआ है। जिसके अनुसार चोट क्र०-1, 2 एवं 4 को एक्सरे की सलाह दी गयी है।

66. एक्सरे होने पर सीधे पैर में प्रथम एवं चौथी मैटाकारपल हड्डी पर अस्थिभंग होना पाया गया है। प्र.पी.-8 के अनुसार उक्त चोट 24 से 72 घण्टे की अवधि की होना बताया गया है। जिससे कि स्पष्ट है कि उसे चोट आने की अवधि दि०-04/01/2012 के शाम 5:40 बजे से 2/1/2012 की शाम 5:40 बजे की है। उक्त मेडीकल रिपोर्ट से सुनीता की उक्त चोटें दि०-3/1/2012 एवं 4/1/2012 की मध्यरात्रि 3-4 बजे आने की पुष्टि होती है। ये वहीं चोटें हैं जिनके बारे में बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिसवालों ने पहुंचाई है और पुलिस का कहना है कि मंगू ने पहुंचायी हैं। साक्षी केशवसिंह अ.सा.-2 ने पैरा-6 में यह बताया है कि मंगू अपनी पत्नी की मारपीट कर रहा था, यह बात किसने बतायी आज नहीं बता सकता।

67. परंतु सुनीता व.सा.-2 ने यह बताया है कि उमेश व मनीष भदौरिया ने बंदूक के बट से उसकी मारपीट की, वह चिल्लाई तो उसकी लडकी राखी आ गयी और वह चिल्लाई तो वे लोग उसकी व उसकी लडकी की छेड़खानी का प्रयास करने लगे। राजवीर अ.सा.-1 पैरा-1 में यह कहता है कि राखी को भी मंगू ने डण्डे मारे, वहीं ग्यासीराम अ.सा.-8 पैरा-1 में कहता है कि मंगू की लडकी राखी ने अपनी मम्मी का बचाव किया तो मंगू का एक डण्डा राखी को भी लगा, इस प्रकार राखी की मारपीट के संबंध में भी विपरीत साक्ष्य ही है।

68. इस संबंध में सुनीता या राखी के द्वारा मंगू के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की गयी है कि उनकी मारपीट मंगू द्वारा की गयी। अपितु इस संबंध में यह बताया है कि थाने पर रिपोर्ट लिखाये जाने पर उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गयी थी, तब उनके द्वारा मनीष, दिनेश, राकेश व ग्यासीराम के विरुद्ध दि०-05/01/2012 को परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि प्र.डी.-7 से स्पष्ट है। प्र.डी.-10 की शिकायत, जोकि आई.जी. चंबल रेंज ग्वालियर को सुनीता के द्वारा की गयी, की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि सुनीता के द्वारा दि०-04/01/2012 को ही उक्त आरक्षक एवं सैनिक के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने तथा बुरी नीयत होने एवं पुलिस के द्वारा मेडीकल परीक्षण न कराने और रिपोर्ट न लिखने के संबंध में थाना प्रभारी अर्थात् आत्माराम शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की शिकायत की गयी है।

69. दि०-05/01/2012 को सुनीता के द्वारा प्रदर्श डी०-7 का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 पैरा-14 में यह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके विरुद्ध कोई परिवाद पत्र पेश किया है या नहीं। जबकि राजवीर अ.सा.-1 पैरा-9 में यह कहता है कि यह सही है कि अभियुक्त मंगू ने आत्माराम शर्मा टी.आई. मालनपुर के विरुद्ध डकैती न्यायालय में इस घटना से पहले लूट के संबंध में परिवाद पेश किया था। इस प्रकार एक मामूली

साक्षी को यह पता है कि टी.आई. आत्माराम के विरुद्ध परिवाद पेश किया था और आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 अनभिज्ञता प्रकट करता है, जिससे कि स्पष्ट है कि आत्माराम के द्वारा तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध प्रतिकूल आशय निकाला जायेगा कि उसके निर्देश पर ही आरक्षकों एवं सैनिकों को अभियोजित होने से बचाने के लिए यह मामला अभियुक्तगण पर थोप दिया गया है।

70. आत्माराम शर्मा अ.सा.-10 यह भी कहता है कि मनीष के विरुद्ध सुनीता ने परिवाद पेश किया है या नहीं, उसे नहीं पता। जबकि राकेश अ.सा.-13 पैरा-12 में यह कहता है कि आरोपी मंगू की पत्नी ने अर्थात् सुनीता ने उन चारों के विरुद्ध इस घटना के बाद इस्तगासा पेश किया है। आत्माराम शर्मा तत्कालीन थाना प्रभारी होकर थाना मालनपुर के पुलिस विभाग के प्रमुख होकर जिम्मेदार व्यक्ति थे। उनकी ओर से इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट करना कि आरक्षकों एवं सैनिकों के विरुद्ध परिवाद पेश किया गया या नहीं स्वतः ही यह दर्शाता है कि उनके निर्देश पर संपूर्ण झूठी कार्यवाही की गयी है। प्र.डी.-5 के परिवाद से ही स्पष्ट है कि आत्माराम शर्मा के विरुद्ध विशेष न्यायालय डकैती, भिण्ड के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद में पैरा-3 में केशवसिंह पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर के द्वारा मंगू व उसके परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट करने के तथ्य हैं। यह वर्तमान प्रकरण का साक्षी केशवसिंह अ.सा.-2 है। केशवसिंह अ.सा.-2 ने पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त मंगू के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट की थी, इस प्रकार पुलिस के द्वारा ऐसे साक्षी को प्रस्तुत किया गया है जो अभियुक्तगण का विरोधी ही था, जिसे पॉकेट विटनेस की श्रेणी में रखा जा सकता है।

71. यही स्थिति राजवीर अ.सा.-1 की ही है उसे भी पुलिस ने पॉकेट विटनेस की तरह इस्तेमाल किया है जिसके बारे में बचाव साक्षी महेन्द्र शर्मा ब.सा.-6 ने यह बताया है कि राजवीर उर्फ टोला उर्फ राजू उसका पुत्र है तथा मंगू उसका भाई है, स्पष्ट है कि राजवीर मंगू का भतीजा है। जिसके संबंध में महेन्द्र शर्मा ब.सा.-6 अर्थात् उसका पिता ही यह कहता है कि उसका लडका राजू उससे कहता है कि "तू अपने भाई मंगू के यहां नहीं जायेगा और तू अगर मंगू के यहां पर गया तो मैं मंगू को फंसवा दूंगा"। इस संबंध में राजवीर अ.सा.-1 का पैरा-3 में यह कहना है कि उसके विरुद्ध एक केस है जिसमें मंगू गवाह है। उसका मंगू के घर 10 साल से आना जाना नहीं है और आना जाना हिस्सा बांट पर से नहीं हैं। जिससे कि स्पष्ट होता है कि यह साक्षी भी अभियुक्तगण का विरोधी व्यक्ति है जिसे पुलिस ने इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि उसकी साक्ष्य अप्राकृतिक है। जैसे कि वह यह स्वीकार करता है कि मंगू के घर से उसे बुलाने कोई नहीं आया तथा वह कहता है कि मनीष शर्मा कह रहे थे कि मत मारो मत मारो। उस समय वह अपने चाचा मंगू के घर पर था। एक ओर अभियोजन घटना यह है कि सुनीता चिल्ला रही थी वहीं दूसरी ओर यह साक्षी कहता है कि मनीष कह रहा था कि मत मारो।

72. केशवसिंह अ.सा.-2 पैरा-1 में कहता है कि करीब साढ़े तीन साल पहले सुबह के लगभग 3:30-4:00 बजे का समय होगा, वह अपनी भैंसों को चराने के लिए जा रहा था। पैरा-4 में उसने स्वीकार किया है कि भैंसे 11-12 बजे चराई जाती हैं। दि०-04/01/2012 माह जनवरी होती है जिसमें कि इस क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी होती है, साढ़े तीन बजे रात्रि में उठकर भैंसों को चराने जाना अपने आपमें ही अप्राकृतिक है। भैंसों को चराने के लिए ले जाना प्राकृतिक तौर पर सुबह ही होता है और वैसे भी सर्दियों में जनवरी माह में सुबह करीब 6-7 बजे होती है। इस प्रकार उसका यह कहना कि उस समय वह भैंसे चराने जा रहा था, पूर्णतः असत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि पैरा-7 में वह यह कहता है कि यह सही है कि उसे अभियुक्तगण के घर पर हुई वारदात अपनी आंखों से नहीं देखी। ग्यासीराम अ.सा.-8 पैरा-6 में यह कहता है कि मुझे स्वयं भी बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि जरिये टेलीफोन से लगभग 800 मीटर दूरी तक पैदल आने तक उनके आने तक का इंतजार सुनीता करती रही और चिल्लाती रही।

73. राजवीर अ.सा.-1 ने पैरा-1 में यह बताया है कि मौके पर गांव वाले आ गये थे तब अभियुक्तगण भाग गये थे। उसकी यह साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ऐसा अस्वाभाविक है कि गांव वालों के आने पर अभियुक्तगण अपना घर छोड़कर भाग जावे, अपितु पुलिसवालों का भाग जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। क्योंकि केशवसिंह अ.सा.-2 पैरा-6 में यह कहता है कि उसने पुलिसवालों को मंगू के घर से भागते देखा था। राजवीर अ.सा.-1 ने पैरा-9 में यह स्वीकार किया है कि मनीष को भागते समय अभियुक्त मंगू ने पकड़ लिया था और अन्य पुलिसवाले भाग गये थे तब मालनपुर सरपंच महेन्द्र जाटव आ गये थे उन्होंने टीआई को बुलवाया और टीआई ने कहा था कि वे उन सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे, उनकी बंदूक दे दो।

74. राजवीर अ.सा.-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि सुबह सुनीता की रिपोर्ट पर से टीआई साहब ने सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की थी। इन्ही तथ्यों की पुष्टि बचाव पक्ष के साक्षी मंगू ब.सा.-1, सुनीता शर्मा ब.सा.-2, महेन्द्र जाटव ब.सा.-3, मेहताब ब.सा.-4, राखी ब.सा.-5 की साक्ष्य से भली भांति हो रही है। राकेश अ.सा.-13 ने पैरा-2 में यह बताया है कि मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गये थे जिन्होंने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचायी। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उक्त पुलिसकर्मी एवं सैनिक अपराध करके वहां से भागे थे जिनमें से मनीष को पकड़ लिया था। अन्य तीनों भाग गये तथा बंदूक वहीं पर रह गयी जिसे महेन्द्र जाटव के माध्यम से टी.आई. आत्माराम को दिलवाई गयी है।

75. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उमेश की हत्या करने का प्रयत्न करने, लूट कारित करने, लूट कारित करने में स्वेच्छया उपहति कारित करने, लोक सेवकों के कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित करने के आशय से उनपर आपराधिक बल

या हमला करने या उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा म.प्र. डकैती प्रभावित क्षेत्र में उक्त अपराध कारित करने के अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं।

76. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना संपूर्ण मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।

77. फलस्वरूप सभी अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-307, 394, 353, 332 सहपठित 34 एवं 11 एवं 13 म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

78. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

79. प्रकरण में जप्तशुदा नोकिया मोबाइल, पर्स एवं 150 रुपये पर अभियुक्तगण के द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। जप्तशुदा नोकिया मोबाइल बाद म्याद अपील आरक्षक मनीष को वापिस किया जावे। पर्स एवं 150 रुपये तथा आईकार्ड आरक्षक राकेश को वापिस किया जावे। जप्तशुदा बंदूक बट नंबर-12 थाना प्रभारी मालनपुर के माध्यम से पुलिस विभाग को वापिस की जावे। जप्तशुदा कुल्हाड़ी, डण्डा आदि मूल्यहीन होने से बाद म्याद अपील नष्ट की जावे।

80. अभियुक्त मेहताब एवं भोलू को दि0-22/03/2013 को गिरफ्तार किया गया है। जमानत होने पर मेहताब को दि0-07/05/2013 को तथा भोलू उर्फ मुकेश को दि0-24/08/2013 को जमानत पर रिहा किया गया है। मंगू उर्फ मंगलप्रसाद राय को दि0-05/04/2013 को गिरफ्तार किया गया, जमानत होने पर उसे दि0-21/05/2013 को रिहा किया गया है।

81. अभियुक्त मेहताब 47 दिवस नरोध में रहा है। अभियुक्त भोलू 156 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त मंगू उर्फ मंगलप्रसाद राय 48 दिवस निरोध में रहा है। धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे।

82. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर धारा 365

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अंतर्गत भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड